मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ–1/504 पार्ट /8483 भोपाल, दिनांक 11/11/2021

// आदेश //

श्री अरविन्द सिंह दीखित मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति शामगढ जिला मंदसौर द्वारा कृषि उपज मंडी समिति शामगढ की नियमन व्यवस्थाओं का संचालन ठीक प्रकार से नही करने, मंडी प्रांगण एवं मंडी प्रांगण के बाहर वाहनों के जाम होने की स्थिति में भी कोई सार्थक प्रयास नही करने, मंडी कार्यालय व मंडी परिसर में नशा करते हुए कार्य का संपादन किये जाने तथा मुख्यालय पर निरतंर निवास नही करने, कार्यालय समय में मोबाईल स्विच ऑफ रखने आदि कार्यो दायित्वों में लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम, 1998 के विनियम 35(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री अरविन्द सिंह दीखित मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति शामगढ जिला मंदसौर का मुख्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय इंदौर रहेगा। निलंबन अवधि में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 36 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी, जिसका मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,आंचलिक कार्यालय इंदौर के प्रति माह 05 तारीख तक प्रमाणीकरण के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति शामगढ से भुगतान देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

11/11/21

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

D:\d\Gere\Order\ORDER sanjaySupsend 2.docx 2

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ–1/504 पार्ट /8484 भोपाल, दिनांक 11/11/2021

प्रतिलिपि :– **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

1– विशेष सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

2– अपर संचालक (वि.जॉच) मंडी बोर्ड मुख्यालय नियत समयावधि मे आरोप पत्रादि जारी करें।

3– अपर संचालक (नियमन) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

4– उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि श्री अरविन्द सिंह दीखित मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति शामगढ जिला मंदसौर के विरूद्ध 15 दिवस में आरोप पत्रादि का प्रारूप तैयार कर अपर संचालक (वि.जां.) मंडी बोर्ड मुख्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें साथ ही कृषि उपज मंडी समिति शामगढ में अन्य सचिव की पदस्थापना होने तक, तत्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत समीपस्थ मंडी के सचिव को अतिरिक्त प्रभार सौपे।

5– संयुक्त संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय इंदौर ।

6– भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शामगढ जिला मंदसौर।

7– श्री अरविन्द सिह दीखित मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति शामगढ जिला मंदसौर की ओर पालनार्थ।

8– आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गो.च./विभागीय जॉच/कम्प्यूटर शाखा/मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

11/11/21

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल